न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 81 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चेलाराम पुत्र रामलाल 2. लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल 3. रूपाराम पुत्र उमाराम जातियान सिरवी निवासी मामावास तहसील सोजत जिला पाली 4 मृतक भूरीदेवी पत्नी रूपाराम के वारिसान 4/1 सोहनलाल पुत्र रूपाराम 4/2 मोहनलाल पुत्र रूपाराम 4/3 घीसूलाल पुत्र रूपाराम जातियान सिरवी निवासी बासनी जोधराज तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. इन्द्रा पुत्री बस्तीराम 2. कौशल्या पत्नी बस्तीराम जातियान कुम्हार 3. खीवाराम पुत्र हेमाराम 4. ताराराम पुत्र हेमाराम 5. रकबाराम पुत्र हेमाराम 6. भेराराम पुत्र हेमाराम 7. मांगीलाल पुत्र हेमाराम 8. पारकी पत्नी हेमाराम 9. चेलाराम पुत्र गणेशराम 10. ढगलाराम पुत्र गणेशराम 11. सोहनलाल पुत्र गणेशराम जातियान कुम्हार निवासीगण बासनी जोधराज तहसील सोजत जिला पाली 12. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उप0**

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक — 15/01/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासनी जोधराज, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 105, 128, 129, 130, 131, 132 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26.1500 किस्म चा0सो0 की आई हुई स्थित है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 12 बावजूद तामिली / सूचना बार— बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 15.11.2022 एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बाद विधिक सुनवाई दिनांक 07.08.2023 को वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /1839 दिनांक 17.12. 2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बासनी जोधराज, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 105, 128, 129, 130, 131, 132 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26. 1500 किस्म चा0सो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम बासनी जोधराज में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	चेलाराम, लक्ष्मणराम पि0 रामलाल सिरवी सा0 देह मामावास	105 128	6.300 0.1951	चा0 सो0
		02	6.4951	चा0 .सो0
2.	रूपाराम पुत्र उमाराम, सोहनलाल, मोहनलाल, घीसुलाल पिता रूपाराम जाति सिरवी सा0 देह	105/1 128/1 129/1 130/1	0.0500 0.6363 3.5100 2.2988	चा0 सो0
		04	6.4951	
3.	खींवाराम, ताराराम, रकबाराम, भेराराम, मांगीलाल पिता हेमाराम पारकी पत्नी हेमाराम जाट सा0देह	130 131 132 128/2	1.0027 0.5300 4.8100 0.1524	चा0 सो0
		04	6.4951	
04	सोहनलाल, ढगलाराम, चोलाराम पिता गुणेशराम, इन्द्रा पुत्री बस्तीराम कौशल्या पत्नी बस्तीराम कुम्हार सा0 देह	128/3	6.4951	चा0 सो0
		01	6.4951	
05	चेलाराम, लक्ष्मणराम पि0 रामलाल सिरवी सा0 देह मामावास, रूपाराम पुत्र उमाराम, सोहनलाल, मोहनलाल, घीसुलाल पिता रूपाराम जाति सिरवी सा0 देह, खींवाराम, ताराराम, रकबाराम, भेराराम, मांगीलाल पिता हेमाराम पारकी पत्नी हेमाराम जाट सा0देह, सोहनलाल, ढगलाराम, चोलाराम पिता गुणेशराम, इन्द्रा पुत्री बस्तीराम कौशल्या पत्नी बस्तीराम कुम्हार सा0 देह	130/2 128/2	0.1485 0.0211	चा0 सो0
		02	0.1696	

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. चेलाराम पुत्र रामलाल
2. लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल
3. रूपाराम पुत्र उमाराम जातियान सिरवी निवासी मामावास तहसील सोजत जिला पाली
4. मृतक भूरीदेवी पत्नी रूपाराम के वारिसान
   4/1 सोहनलाल पुत्र रूपाराम
   4/2 मोहनलाल पुत्र रूपाराम
   4/3 घीसूलाल पुत्र रूपाराम जातियान सिरवी निवासी बासनी जोधराज तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रा पुत्री वस्तीराम
2. कौशल्या पत्नी वस्तीराम जातियान कुम्हार
3. खीवाराम पुत्र हेमाराम
4. ताराराम पुत्र हेमाराम
5. रकबाराम पुत्र हेमाराम
6. भेराराम पुत्र हेमाराम
7. मांगीलाल पुत्र हेमाराम
8. पारकी पत्नी हेमाराम
9. चेलाराम पुत्र गणेशराम
10. ढगलाराम पुत्र गणेशराम
11. सोहनलाल पुत्र गणेशराम जातियान कुम्हार निवासीगण बासनी जोधराज तहसील सोजत जिला पाली
12. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :— **81/2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बासनी जोधराज, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 105, 128, 129, 130, 131, 132 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26.1500 किस्म चा0सो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है—

01 ग्राम बासनी जोधराज में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	चेलाराम, लक्ष्मणराम पि0 रामलाल सिरवी सा0 देह मामावास	105 1 28	6.300 0.1951	चा0 सो0
		02	6.4951	चा0 .सो0
2.	रूपाराम पुत्र उमाराम, सोहनलाल, मोहनलाल, घीसुलाल पिता रूपाराम जाति सिरवी सा0 देह	105/1 128/1 129/1 130/1	0.0500 0.6363 3.5100 2.2988	चा0 सो0
		04	6.4951	
3.	खींवाराम, ताराराम, रकबाराम, भेराराम, मांगीलाल पिता	130	1.0027	चा0

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	हेमाराम पारकी पत्नी हेमाराम जाट सा0देह	131 132 128/2	0.5300 4.8100 0.1524	सो0
		04	6.4951	
04	सोहनलाल, ढगलाराम, चोलाराम पिता गुणेशराम, इन्द्रा पुत्री बस्तीराम कौशल्या पत्नी बस्तीराम कुम्हार सा0 देह	128/3	6.4951	चा0 सो0
		01	6.4951	
05	चेलाराम, लक्ष्मणराम पि0 रामलाल सिरवी सा0 देह मामावास, रूपाराम पुत्र उमाराम, सोहनलाल, मोहनलाल, धीसुलाल पिता रूपाराम जाति सिरवी सा0 देह, खींवाराम, ताराराम, रकबाराम, भेराराम, मांगीलाल पिता हेमाराम पारकी पत्नी हेमाराम जाट सा0देह, सोहनलाल, ढगलाराम, चोलाराम पिता गुणेशराम, इन्द्रा पुत्री बस्तीराम कौशल्या पत्नी बस्तीराम कुम्हार सा0 देह	130/2 128/2	0.1485 0.0211	चा0 सो0
		02	0.1696	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/01/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)